न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

ओमप्रकाश व अन्य

बनाम

रूपाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री देवीसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सताईस

आदेश

दिनांक 16 मई 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2025 अनवान भीयाराम बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 जनवरी 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 20 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त जायदाद मौजा आऊ तहसील आऊ जिला फलोदी की सरहद में स्थित खसरा सं 459 रकबा 84 बीघा 5 बिस्वा(13.7997 हैक्टेयर) अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त आराजी में अजनबी क्रेता है।, जिसे मूल खातेदारों के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यधान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। कानूनन एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। विचारण न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य भलीभांति था कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक अन्य वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड का परीक्षण किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मूल खातेदार

	के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। रेस्पोडेंट संख्या एक अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजी के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अपीलांट आज दिन रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्त है, जिसके उपयोग व उपभोग सहित सम्पूर्ण खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार से स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का रेस्पोडेट संख्या 1 अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 जनवरी 2025 को निरस्त किया जावे। अपीलांट्स की ओर से अपनी बहस के समर्थन में 1996(3) आर.बी.जे. 91 की न्यायिक नजीर पेश की। जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में विचारण न्यायालय में वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। वादग्रस्त आराजी के हिस्से खुले हुए नहीं है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी का बेचान हस्तांतकरण करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2076-2079 के मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त आराजीयात में 1/11 वे हिस्से का सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट्स का कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त	

आराजी में अजनबी क्रेता है तथा उसके द्वारा मूल खातेदारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। इस संबंध में न्यायिक उद्धरण 1996(3) आर.बी.जे. 91 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा धारित किया गया है कि ''**एक सह-कृषक द्वारा कोई निश्चित भू-भाग का बंटवाड़ा कराये बिना विक्रय कर देने के पश्चात एवं क्रयकर्ता द्वारा आराजी में प्रवेश कर लेने के पश्चात सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकता है।**'' हस्तगत मामले में रेस्पोडेंट संख्या एक जो अजनबी क्रेता है, के द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते पर विचारण न्यायालय द्वारा मूल खातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मूल खातेदार/ सहखातेदारान् के विरूद्ध अपीलाधीन एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण के आलोक में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 जनवरी 2025 को अपास्त किया जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर